आकाशवाणी श्री विजयपुरम

दिनांक : 28.08.2026 समय : 0705

<><><><><><>

- पूरे देश के साथ द्वीपसमूह में भी आज रक्षाबंधन का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
- जेम्स ऑफ इंडिया अभियान को बढ़ावा देने के लिए दूरदर्शन, श्री विजयपुरम विशेष स्पोर्ट्स चैलेंज कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है।
- परिवहन विभाग ने भारी वाहन मालिकों से मोटर वाहन अधिनियम, का पालन करने की अपील की है ।
- प्रशासन ने 'अंडमान निकोबार द्वीपसमूह औद्योगिक सम्पदा (आवंटन और प्रबंधन) नीति, 2025' मसौदा संशोधन पर टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए है।

<><><><><><>

रक्षाबंधन का त्योहार आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस मौके पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रंग–बिरंगी राखी बांधती हैं और उनकी खुशहाली, सेहत और समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। इसके बदले में, भाई अपनी बहनों की रक्षा और मदद करने का वादा करते हैं और उन्हें उपहार देते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा बंधन पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि रक्षा बंधन का त्योहार प्राचीन काल से ही देश की संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा रहा है। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस त्योहार पर हर नागरिक से परिवार और समुदायों के बीच रिश्तों को मज़बूत करने का संकल्प लेने और इसी भावना के साथ 'विकसित भारत' की ओर आगे बढ़ने का आग्रह किया। रक्षाबंधन के अवसर पर, द्वीपों के उप–राज्यपाल सेवानिवृत्त एडमिरल डी के जोशी ने द्वीपवासियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रक्षाबंधन एक ऐसा प्रिय त्योहार है जो भाइयों और बहनों के बीच प्रेम, स्नेह और परस्पर विश्वास के पवित्र बंधन का उत्सव मनाता है।

<><><><><><>

भातुबस्ती स्कूल मैदान में आयोजित अंतर–स्कूल फुटबॉल चैम्पियनशिप फाइनल के दौरान 'जेम्स ऑफ इंडिया 2026' अभियान को बढ़ावा देते हुए शिक्षा विभाग ने छात्रों को WAVES OTT प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी प्रतिभा और उपलब्धियों का प्रदर्शन कर राष्ट्रीय चुनौती में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में द्वीपसमूह तथा अरुणाचल प्रदेश के लिए जेम्स ऑफ इंडिया अभियान की नोडल अधिकारी नीरजा गुप्ता, सहायक पर्यवेक्षक ए.के. गैन, शिक्षकों, खिलाड़ियों और छात्रों ने भाग लिया। इस पहल के हिस्से के रूप में, दूरदर्शन का श्री विजयपुरम केन्द्र जल्द ही जेम्स ऑफ इंडिया 2026 अभियान को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष स्पोर्ट्स चैलेंज कार्यक्रम शुरू करेगा। यह कार्यक्रम WAVES OTT के माध्यम से खेल और डिजिटल स्टोरीटेलिंग में भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए, द्वीपसमूह के युवा एथलीटों की खेल प्रतिभा, प्रेरणादायक यात्राओं और उपलब्धियों को उजागर करने के लिए एक समर्पित मंच प्रदान करेगा।

<><><><><><><>

एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए अनिवार्य ई–केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने में फरारगंज तहसील में निवासियों को पेश आ रही कठिनाइयों का समाधान करने के लिए दक्षिण अंडमान जिला परिषद अध्यक्ष पी. उमर की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में नागरिक आपूर्ति विभाग निदेशक, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, अधिकारियों, संबंधित क्षेत्र के पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों और मेसर्स प्रिया इंडेन गैस एजेंसी के प्रतिनिधि ने भाग लिया। बैठक में उपभोक्ताओं को ई–केवाईसी के लिए जंगलीघाट स्थित कार्यालय आने में असुविधा को देखते हुए निर्णय लिया गया कि उपभोक्ता आईओसी की वेबसाइट पर जाकर या अपने–अपने क्षेत्रों में स्थित सीएससी के माध्यम से स्वयं ई–केवाईसी कर सकते हैं। ऑनलाइन सिलेंडर बुक करने वाले उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी बुक पर मुहर लगवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑफलाइन बुकिंग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए एजेंसी द्वारा मुहर लगाने की व्यवस्था की जाएगी। बैठक में एलपीजी सिलेंडरों का वितरण शाम छः बजे तक पूरा करने का भी निर्णय लिया गया।

<><><><><><><>

परिवहन विभाग ने कहा कि कंटेनर और भारी मशीनरी, स्टील उत्पाद, पाइप, लकड़ी तथा निर्माण सामग्री सहित अन्य भारी माल ले जाने वाले भारी माल वाहनों को भार की उचित सुरक्षा सुनिश्चित किए बिना संचालित किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंटेनर और अन्य भारी माल ले जाने वाले भारी माल वाहनों के सभी मालिकों, ऑपरेटरों और ड्राइवरों को निर्देश दिया जाता है कि वे प्रत्येक यात्रा शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि कंटेनर और माल ठीक से बंधे हुए हैं। जारी निर्देशों के अनुसार मालवाहक वाहनों के चालकों के पास वैध फिटनेस प्रमाण पत्र, कंटेनरों को वाहन पर ठीक से रखे जाने, वाहन के संतुलन, को बनाए रखने के लिए माल को समान रूप से वितरित करने और मोटर वाहन अधिनियम और नियमों के तहत वाहन का वजन निर्धारित सीमाओं के भीतर रखने को कहा गया है। विभाग ने सभी संबंधित मालिकों, ऑपरेटरों और ड्राइवरों को मोटर वाहन अधिनियम और नियमों के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। उल्लंघनकर्ताओं पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 86 के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। परिवहन और पुलिस विभाग की प्रवर्तन शाखा रूटीन चेकिंग और प्रवर्तन अभियानों के दौरान निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेगी।

<><><><><><><>

उद्योग निदेशालय की ओर से उद्यमियों और उद्यमों को बुनियादी सुविधाओं के साथ औद्योगिक शेड प्रदान करने के लिए द्वीपसमूह के विभिन्न हिस्सों में औद्योगिक सम्पदा स्थापित की गई हैं। यह छः औद्योगिक संपदाएं डॉलीगंज, गाराचरमा, मीठाखाड़ी, हटबे, बकुलतला और कैम्पबेल बे में उपलब्ध है। इन औद्योगिक सम्पदाओं में शेड्स का आवंटन पारदर्शी तरीके से करने और किए गए आवंटन का प्रबंधन करने के लिए, प्रशासन ने 'अंडमान निकोबार द्वीपसमूह औद्योगिक सम्पदा (आवंटन और प्रबंधन) नीति, 2025' अधिसूचित की है। इसके अलावा, नीति को अधिक कुशल बनाने के लिए, नीति के कुछ खंडों में कुछ संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है। इस दिशा में, एक मसौदा संशोधन अधिसूचना तैयार की गई है, जिसे प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

प्रशासन ने प्रस्तावित मसौदा संशोधन पर आम जनता, हितधारकों, उद्यमियों से 23 सितम्बर तक टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं। टिप्पणियां और सुझाव उद्योग निदेशालय के ईमेल पर भी भेजे जा सकते हैं।

<><><><><><><>

दूरदर्शन केंद्र, श्री विजयपुरम की ओर से आज 'हैलो डॉक्टर' कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। कार्यक्रम का विषय है – हर्निया - शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए मिनिमली इनवेसिव सर्जरी। यह फोन–इन कार्यक्रम शाम साढ़े पांच बजे से छह बजे तक प्रसारित होगा। कार्यक्रम में जी.बी. पंत अस्पताल के सर्जरी विभाग के प्रोफेसर डॉ. साजी वर्गीज विशेषज्ञ के रूप में दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे। दर्शक 244–745 या 245–662 फोन नंबर डायल कर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं।

<><><><><><><>